लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 418
उत्तर देने की तारीखः 19.11.2019

अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

418. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः
श्री दयाकर पसुनूरीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा प्राप्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी श्रेणी-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छात्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित/खर्च की गई है; और

(घ) भविष्य में और अधिक छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा मौजूदा नियमों में छूट देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए दो अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, यथा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एसस) और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-ओबीसी)। इस योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र छात्रों को दसवीं कक्षा के बाद अथवा बारहवीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ख) और (ग): पीएमएस-एससी योजना के अंतर्गत, केंद्रीय सहायता उस वर्ष विशेष के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत कुल मांग के ऐसे भाग के लिए जारी की जाती है जो उनकी वार्षिक प्रतिबद्ध देयता के अलावा होती है। कोई राज्यवार निधि आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमएस-एससी के अंतर्गत राज्यवार जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पीएमएस-ओबीसी योजना एक सीमित निधि योजना है जिसके अंतर्गत उपलब्ध बजट राज्यवार आवंटित किया जाता है और धनराशि जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विचार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमएस-ओबीसी योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटित निधियों और जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) के अंतर्गत, सभी पात्र छात्र पूरी ट्यूशन-फीस और अनुरक्षण भत्ते के लिए पात्र होते हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए ज्यादा छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु आवेदन तथा संवितरण की प्रक्रिया को युक्तसंगत बनाया गया है और अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आवेदन पत्र आमंत्रित करने और डीबीटी मोड के माध्यम से संवितरण करने के लिए ऑन-लाइन पोर्टल विकसित किया है।

अनुबंध-I

"अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" के बारे में दिनांक 19.11.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

2016-17 से 2019-20 (13.11.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	14398.00	31742.54	9000	28767
2	असम	1690.00	0	1500	0
3	बिहार	4081.00	0	0	0
4	चंडीगढ़	0.00	145.97	797.44	0
5	छत्तीसगढ़	190.00	3902.02	323	327
6	दमन और दीव	0.00	0	0	0
7	दिल्ली	473.76	0	702	0
8	गोवा	0.00	14.99	0	0
9	गुजरात	5244.00	14339.54	18055	0
10	हरियाणा	10735.00	0	5809	0
11	हिमाचल प्रदेश	2400.00	7425	5325	0
12	जम्मू और कश्मीर	202.00	1362.76	0	0
13	झारखंड	2071.00	892.95	1723	0
14	कर्नाटक	3300.00	39546.98	2918	12147
15	केरल	4267.20	8391	0	120
16	मध्य प्रदेश	3308.00	23042.54	0	0
17	महाराष्ट्र	10669.00	50497.96	143392	0
18	मणिपुर	583.31	750.56	754	794
19	मेघालय	0.00	0	0	0
20.	ओडिशा	19879.80	4747.56	20891	14071
21	पुडुचेरी	0.00	0	0	0
22	पंजाब	28008.40	11573.21	63131	0
23	राजस्थान	20056.00	32922.79	7768	31454
24	सिक्किम	255.50	0	104	104
25	तमिलनाडु	74324.00	43448.24	140738	16288
26	तेलंगाना	33166.00	14024.24	0	0
27	त्रिपुरा	1904.68	1991.84	2597	3542
28	उत्तर प्रदेश	27000.00	25420.46	167288	65516
29	उत्तराखंड	7301.00	3969.00	0	0
30	पश्चिम बंगाल	4369.00	21256.91	0	0
	कुल	**279876.65**	**341409.06**	**592815.44**	**173130**

"अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" के बारे में दिनांक 19.11.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (13.11.2019 की स्थिति के अनुसार)	
		निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	3404.00	3709.10	3404.00	4399.11	4183.00	4121.81	5159.00	5159.00
2	बिहार	7196.00	5397.00	7196.00	0.00	8843.00	8842.71	10906.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	1766.00	0.00	1766.00	2282.26	2172.00	2172.00	2679.00	0.00
4	गोवा	104.00	113.32	104.00	132.53	128.00	297.05	158.00	158.00
5	गुजरात	4187.00	4562.28	4187.00	5335.74	5145.00	5145.00	6346.00	4759.50
6	हरियाणा	1761.00	0.00	1761.00	0.00	2164.00	1235.46	2669.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	478.00	520.84	478.00	609.15	588.00	588.00	725.00	543.75
8	जम्मू और कश्मीर	867.00	944.71	867.00	650.25	1065.00	801.10	1313.00	0.00
9	झारखंड	2288.00	2493.08	2288.00	2956.86	2811.00	2811.00	3467.00	3467.00
10	कर्नाटक	4236.00	4615.67	4236.00	5474.32	5205.00	5205.00	6420.00	6420.00
11	केरल	2315.00	2327.19	2315.00	2950.14	2845.00	2845.00	3509.00	3509.00
12	मध्य प्रदेश	5033.00	5484.11	5033.00	6504.32	6185.00	6185.00	7628.00	7628.00
13	महाराष्ट्र	7792.00	8490.40	7792.00	5844.00	9575.00	9575.00	11810.00	8857.50
14	ओडिशा	2905.00	2855.75	2905.00	2178.75	3570.00	3534.81	4402.00	4402.00
15	पंजाब	1920.00	2092.10	1920.00	1440.00	2360.00	0.00	2910.00	0.00
16	राजस्थान	4756.00	5182.28	4756.00	5663.47	5844.00	5782.49	7208.00	0.00
17	तमिलनाडु	4998.00	5445.97	4998.00	4550.00	6142.00	6142.00	7575.00	7575.00
18	तेलंगाना	2468.00	2689.21	2468.00	1851.00	3033.00	0.00	3740.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	13837.00	15077.22	13837.00	17882.03	17004.00	20450.66	20972.00	17276.62
20	उत्तराखंड	700.00	737.74	700.00	525.00	860.00	269.46	1061.00	0.00
21	पश्चिम बंगाल	6329.00	6602.03	6329.00	8179.08	7778.00	6702.51	9593.00	7638.89
22	अंडमान और निकोबार	11.00	0.00	11.00	14.66	11.00	11.00	33.50	0.00
23	दादरा और नागर हवेली	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	50.00	0.00
24	दमन और दीव	11.00	7.13	11.00	0.00	11.00	28.00	33.50	0.00
25	चंडीगढ़	61.00	92.87	61.00	85.34	61.00	61.00	183.00	137.25
26	दिल्ली	187.00	187.00	187.00	100.00	187.00	154.00	933.00	289.53
27	पुडुचेरी	13.00	12.99	13.00	31.99	13.00	32.00	67.00	50.25
28	असम	7255.00	5026.84	7255.00	0.00	9991.00	3634.92	11833.00	0.00
29	मणिपुर	628.00	471.00	628.00	622.37	864.00	653.31	1024.00	1024.00
30	त्रिपुरा	837.00	1950.00	837.00	2150.00	1153.00	2450.00	1365.00	1365.00
31	सिक्किम	140.00	500.00	140.00	549.98	192.00	316.10	228.00	210.70
	कुल	**88500.00**	**87587.83**	**88500.00**	**82962.35**	**110000.00**	**100046.39**	**136000.00**	**80470.99**